यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)** के माह **06/2019** से माह **10/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **27.11.2020** से **07.12.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **10.06.2019** से **17.06.2019** तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **08/2017** से **05/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **06/2019** से **10/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- खंड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58, 707(A) तथा 119 में सड़क निर्माण व अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र टिहरी से मलेथा-707A, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग-58 तथा सतपुली से श्रीनगर-119 है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	0.000	0.000	253.840	253.840	0.000	704.000	704.000	0.000
2019-20	0.000	0.000	3.000	231.13	0.000	126.070	126.070	0.000
2020-21 (Upto 10/2020)	0.000	0.000	0.000	115.900	0.000	54.000	54.000	0.000

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 10/2020)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
शून्य									

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58, 707(A) तथा 119 में सड़क निर्माण व अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को शामिल न करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत हैः- **सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन→प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड→ मुख्य अभियन्ता, रा.मा. एवं सेतु (ग०क्षे०) लो.नि.वि. देहरादून→ अधीक्षण अभियन्ता, 10 वां रा.मा. वृत, लो.नि.वि. देहरादून→ अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर→सहायक अभियन्ता।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2020** (आय) तथा **03/2020 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। Widening and existing single lane road to two lane with paved shoulder configuration from Km 235.00 to 268.00 of NH-58 including 560M marine drive via duct portion near *Byasi* in the state of Uttarakhand under EPC mode कार्य विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

(iv) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह शून्य तथा 09/2017 तक की गई। खण्ड में भण्डार नहीं हैंअतः भण्डार लेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।

(v) **फार्म 51:** माह 08/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम : ₹ 0.00

भाग द्वितीय : ₹ 0.00

3. खंड के उच्च्यंत लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त में निमन्वत थे:-

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	: शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	: शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	: शून्य
(घ)	निक्षेप	: ₹ 27558335.00
(ङ)	भण्डार	: शून्य

प्रस्तर 1 : ठेकेदार से Liquidated Damage के रूप में वसूल की गई धनराशि पर `65,47,668/- की जी.एस.टी. (GST) की वसूली न किया जाना।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (गढ़वाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा `**1,47,47,00,000/-** की लागत से कराये जाने वाले **Widening and Reconstruction of existing intermediate/2 lane to 2 lane with paved shoulder configuration from existing KM 268.00 (Design KM 266.100) to KM 300 (Design KM 296.500) excluding existing KM 277.650 to 277.900 & KM 297.080 to 297.315 of NH-58 in the state of Uttarakhand through an Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract** हेतु M/s Centrodorstroy (India) Pvt. Ltd., New Delhi के साथ अनुबन्ध[1] गठित किया गया था। अनुबन्ध की Clause 10.3.2 के अनुसार निर्माण कार्यों में देरी हेतु अनुबंधित धनराशि के ऊपर 0.05% प्रतिदिन की दर से Liquidated Damage आरोपित कर वसूली किए जाने का प्रावधान किया गया था।

As per section 7(1)(d) of The Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017, **GST is applicable on 'supply' of goods or services or both as referred to in Schedule II and is charged on the 'value of supply'**. Schedule II के नियम 6(a) के अनुसार Works Contract को supply of services की श्रेणी में रखा गया है।

Section 15(1) of the CGST Act defines **'value of taxable supply'** as the transaction value which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply.

In case of Liquidated Damages, there is an act of Non-Performance / Breach and the same has been tolerated by an additional levy in the nature of Liquidated Damages. There are two events, the first event calls for the payment of a contract price to the Contractor and the second event calls for the payment of liquidated damage to the owner. The income (though presented in the form of deduction) from payments to be made to the Party that Breached (Contractor) is the income of the Party that Suffered Damage (Principal / Owner) and would be a supply of 'service' in terms of schedule II para 5 clause (e) of the GST Act.

Therefore, GST @12% is applicable on Liquidated Damages as per Government of India Notification No. 20/2017-Central Tax (Rate) dated 22.08.2017. The party collecting Liquidated Damages shall raise the Invoice by Charging GST @ 12% with Heading 9954 (Construction Services).

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में देरी हेतु

[1] 07/CE-N.H. & B/2017 dated 26.04.2017

अनुबन्ध की Clause 10.3.2 के अनुसार फर्म के IV Stage Payment के देयक से Liquidated Damages के रूप में `**5,45,63,900/-** की कटौती की गई थी परन्तु GST Act के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार Liquidated Damages के रूप में वसूल की गई धनराशि के ऊपर 12% GST `**65,47,668/-** की वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी के अभाव में Liquidated Damages के ऊपर GST की वसूली नहीं की गई थी। इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित फर्म के आगामी देयक से GST की धनराशि `**65,47,668/-** की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर –1: विभाग द्वारा सलाहकार को भुगतान पर निरर्थक व्यय रुपये 245.12 लाख तथा निर्माणाधीन पुल ढह जाने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त भाग पर रुपये 2.59 करोड़ का निष्फल व्यय

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्य "Widening and existing single lane road to two lane with paved shoulder configuration from Km 235.00 to 268.00 of NH-58 including 560M marine drive viaduct portion near byasi in the state of Uttarakhand under EPC mode" हेतु ₹248.22 करोड़ की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति सितंबर 2016 मे प्रदान की गयी थी।

उक्त कार्य के सम्पादन हेतु कार्यालय मुख्य अभियंता, राजमार्ग एवं सेतु, देहरादून द्वारा ठेकेदार "M/s Rajshyama Construction Pvt Ltd, New Delhi" के साथ अनुबंध संख्या – 10/सी°°ई°-एन°एच° & बी°/2017 दिनाँक–10.07.2017 को रुपये 157.54 करोड़ का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य वर्तमान मे प्रगति[2] पर है। समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ था कि उक्त अनुबंध के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 58 के कि. मी. – 249.700 पर निर्माणाधीन पुल (गूलर पुल) दिनाँक – 22.11.2020 को निर्माण के दौरान गिर गया था जिसमे एक मज़दूर की मौत हो गयी थी तथा 13 मज़दूर घायल हो गए थे।

1. उपरोक्त कार्य की परामर्शी सेवाओं[3] हेतु विभाग द्वारा सलाहकार(Consultant)[4] "Ayoleeza Consultants Pvt. Ltd." के साथ अनुबंध संख्या - 10/SE-NH-12017-18 दिनाँक – 31.07.2017 को रुपये 492.32 लाख का गठित किया गया था। उक्त अनुबंध के अंतर्गत सलाहकार द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए डिज़ाइन और आरेखण की समीक्षा कर अपने अवलोकन से ठेकेदार एवं विभाग को अवगत कराया जाना था तथा अवलोकन में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु ठेकेदार को दिशा-निर्देश जारी किए जाने थे। ठेकेदार द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सुधारात्मक उपाय न किए जाने की स्थिति में कंसल्टेंट द्वारा जान-माल की सुरक्षा हेतु संबन्धित कार्य को रोके जाने की संस्तुति विभाग से की जानी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर की नमूना लेखापरीक्षा (माह-11/2020) के दौरान उपरोक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि ठेकेदार द्वारा गूलर पुल के संबंध में डिज़ाइन और आरेखण दिनाँक – 02.04.2019 को कंसल्टेंट को प्रस्तुत किए गए थे परंतु ठेकेदार द्वारा पुल के Super Structure हेतु staging arrangements उक्त डिज़ाइन और आरेखण के साथ सलाहकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। सलाहकार द्वारा गूलर पुल के डिज़ाइन और आरेखण को

---

[2] नवम्बर 2020 तक भौतिक प्रगति – 89.62 प्रतिशत

[3] Consultancy Services for Authority's Engineer of following project on EPC Basis (I) Widening of existing single lane road to two lane with paved shoulders configuration from Km 235.00 to Km 268.00 on NH-58 including 560m Marine Drive viaduct portion near Byasi in the state of Uttarakhand on EPC Mode। (II) Construction of 2-Lane road Tunnel near Dat ki Devi at Km 33/Km 34 on NH-72A

[4] Consultant or Authority Engineer

अनुमोदित करते हुए ठेकेदार को पुल के Super Structure हेतु staging arrangements अलग से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था (दिनाँक – 17.07.2019)। आगे जाँच में पाया गया था कि ठेकेदार द्वारा गूलर पुल के Super Structure हेतु staging arrangements सलाहकार को प्रस्तुत किए ही नहीं गए थे तथा staging arrangements हेतु सलाहकार से बिना अनुमोदन प्राप्त किए ही पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। ठेकेदार द्वारा पुल के Super Structure हेतु staging arrangements प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में सलाहकार द्वारा विभाग को उक्त के संबंध में सूचित करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया जाना चाहिए था।

परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि ठेकेदार द्वारा पुल के Super Structure हेतु staging arrangements प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में सलाहकार द्वारा न तो विभाग को सूचित किया गया था और न ही पुल के निर्माण कार्य को रोका गया था। दिनाँक – 22.11.2020 को उक्त पुल के द्वितीय भाग के super structure[5] (45 मीटर) के निर्माण के दौरान staging arrangements ढह जाने के कारण निर्माणाधीन पुल का उक्त भाग गिर गया था जिसमे जिसमे एक मज़दूर की मौत हो गयी थी तथा 13 मज़दूर घायल हो गए थे। ठेकेदार द्वारा staging arrangements प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में सलाहकार द्वारा विभाग को सूचित न किया जाना तथा निर्माण कार्य को रोका नहीं जाना सलाहकार स्तर पर एक गंभीर अनियमित्ता थी जो उक्त दुर्घटना का एक संभावित कारण बनी थी। उक्त दुर्घटना की सलाहकार स्तर पर की गयी जाँच में भी दुर्घटना का मुख्य कारण staging arrangement ढह जाना पाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संबन्धित सलाहकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया था कि ठेकेदार द्वारा पुल के Super Structure हेतु staging arrangements सलाहकार को प्रस्तुत किया ही नहीं गया था। यह भी कि अनुबंध[6] की अनुसूची-I के अनुसार ठेकेदार द्वारा पुल के अस्थाई कार्यों (staging arrangements) की डिज़ाइन और आरेखण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। कंसल्टेंट का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि ठेकेदार द्वारा पुल के अस्थाई कार्यों हेतु डिज़ाइन और आरेखण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी तो कंसल्टेंट द्वारा अपने पत्र दिनाँक – 17.07.2019 के माध्यम से ठेकेदार को पुल के Super Structure हेतु staging arrangements अलग से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित क्यों किया गया था? यह भी कि विभागीय स्तर पर भी ठेकेदार द्वारा पुल के Super Structure हेतु staging arrangements प्रस्तुत न किए जाने एवं कंसल्टेंट द्वारा उक्त के संबंध में विभाग को सूचित न किए जाने को आपत्तिजनक पाया गया था तथा विभाग ठेकेदार द्वारा पुल के अस्थाई कार्यों हेतु डिज़ाइन और आरेखण प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में कंसल्टेंट के अभिमत से भी सहमत नहीं था। इस प्रकार विभाग द्वारा नियुक्त सलाहकार अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन करने में विफल रहा था जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा सलाहकार को किया गया रुपये 245.12 लाख[7] का भुगतान निरर्थक सिद्ध हुआ था।

2. आगे उपरोक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि लेखापरीक्षा तिथि तक विभाग द्वारा उपरोक्त दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए पुल के उक्त भाग के सापेक्ष super-structure कार्यों हेतु ठेकेदार को रुपये 2.59 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था जोकि उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप निष्फल हो

---

[5] Deck slab of second span between abutment A to Pier P1

[6] अनुबंध संख्या – 10/सी°°ई°-एन°एच° & बी°/2017 दिनाँक–10.07.2017

[7] रुपये 33124937.00 x 74% = रुपये 24512453.38 या 245.12 लाख

गया था। यह भी कि लेखापरीक्षा तिथि तक भी ठेकेदार द्वारा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के पुननिर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था जिसके कारण कार्य हेतु आवंटित समयवृद्धि के अंतर्गत भी कार्य पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं थी।

उक्त दुर्घटनाग्रस्त पुल का विभागीय स्तर पर निरीक्षण किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि कार्य से संबन्धित अभियन्ताओं को शासन के आदेश के क्रम में खण्ड से हटाकर मुख्यालय सम्बद्ध किए जाने के कारण उक्त पुल के विभागीय स्तर पर किए गए निरीक्षण के संबंध में जानकारी भविष्य में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी। पुल के क्षतिग्रस्त भाग के पुननिर्माण के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान तक पुननिर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा पुल के उक्त भाग का निर्माण संबन्धित ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाएगा।

अत: विभाग द्वारा सलाहकार को किए गए रुपये 245.12 लाख के निरर्थक भुगतान तथा दुर्घटना में क्षतिग्रस्त पुल के सापेक्ष किए गए निष्फल व्यय रुपये 2.59 करोड़ का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 2: निक्षेप मद के अंतर्गत रोड कटिंग से संबन्धित धनराशि का अनियमित उपयोग

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के अधीन मार्गों में दूर संचार / विध्युत विभाग / जल संस्थान / जल निगम एवं अन्य संस्थान/विभागों द्वारा सीवर लाइन डालने, केबिल बिछाने, पाइप लाइन डालने अथवा अन्य किसी भी कारण से लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के संबंध में कटिंग चार्जेज की दरें शासन द्वारा उत्तराखंड गठन के बाद जून 2005 में तथा तत्पश्चात मई 2011 में निर्धारित की गई हैं।

जारी निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों/विभागों द्वारा सड़क काटने से पूर्व लोक निर्माण विभाग से पूर्व अनुमति ली जाती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त ले-आउट प्लान के आधार पर आगणन गठित कर कटिंग चार्जेज का बिल संबन्धित विभाग/संस्थान को भेज दिया जाता है। धनराशि प्राप्त होने के उपरांत संबन्धित विभाग को अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्राप्त धनराशि से संबन्धित सड़कों की मरम्मत की जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2020) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में वर्ष 2019-20 से लेखापरीक्षा सम्पादन तक विभिन्न संस्थानों/विभागों से रोड कटिंग चार्जेज के रूप में ` 7.69 लाख की धनराशि **(विवरण संलग्न)** प्राप्त कर विभाग के संबन्धित लेखाशीर्ष (8443) में जमा की जा चुकी थी। उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु कोई अनुबंध गठित नहीं किया गया था जब कि काटी गई सड़कों को ससमय ठीक न किए जाने के फलस्वरूप यातायात में असुविधा तथा दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि विगत दो वर्षों में रोड कटिंग से संबन्धित ` 80.80 लाख की धनराशि DCL के माध्यम से प्राप्त कर उपयोग की गई थी परंतु उक्त धनराशि किन सड़कों की मरम्मत हेतु उपयोग की गई, इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस के अतिरिक्त लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक रोड कटिंग से संबन्धित कुल धनराशि ` 2.75 करोड़ का उपयोग लम्बित था।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्य कराए जाते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्णित मद में ` 2.75 करोड़ की धनराशि का उपयोग लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक लम्बित था जिस से यह स्पष्ट है कि नियमित रूप से रोड कटिंग की प्राप्त धनराशि का उपयोग संबन्धित सड़कों की मरम्मत हेतु नहीं किया जा रहा था और न इस संबंध में कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई थी। अप्रैल 2019 से सितम्बर 2020 तक की अवधि में संलग्न विवरण में प्रदर्शित महातपूर्ण सड़कों की मरम्मत हेतु कोई अनुबंध गठित नहीं किया गया था। इस के अतिरिक्त विगत दो वर्षों में उक्त मद में व्यय की गई ` 80.80 लाख की धनराशि से संबन्धित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः रोड कटिंग से संबन्धित धनराशि का अनियमित उपयोग का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक क

<u>अप्रैल 2019 से सितम्बर 2020 तक रोड कटिंग चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि</u>

धनराशि प्राप्ति का माह	कार्य का नाम	रोड कटिंग हेतु प्राप्त धनराशि **(` में)**
मई 2019	एन॰एच॰ 58 किमी ऋषिकेश से श्रीनगर 102 मीटर ओ.एफ. सी. केबल बिछान	162316
जून 2019	पेयजल संस्थान द्वारा एन॰एच॰ 58 में पाइप बिचान कार्य	201000
दिसम्बर 2019	एन॰एच॰ 58 किमी 322 (जुयालगढ़ पुल के निकट) पाइप लाइन बिछान	51672
दिसम्बर 2019	एन॰एच॰ 707 ए किमी 234 है॰मी॰ 2-4 में सीवर लाइन बिछान	48366
मार्च 2020	एन॰एच॰ 119 (NH॰534 NEW) किमी 247.050 में ओवर हेड ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछान हेतु पोल गाड़ने संबंधी कार्य	152880
मई 2020	एन॰एच॰ 707 ए किमी 237.00 है॰मी॰ 6-8 में राइज़िंग मैंन पाइप लाइन बिछान	38573
जुलाई 2020	एन॰एच॰ 707 ए किमी 237.00 से किमी 237.200 में ओ.एफ. सी. केबल बिछान	84652
सितम्बर 2020	किसी व्यक्ति विशेष द्वारा एन॰एच॰ 707 ए में रोड कटिंग हेतु	14492
सितम्बर 2020	एन॰एच॰ 707 ए किमी 242 है॰मी॰ 2-4 में पाइप लाइन बिछान	15032
	योग	**768983**

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 3: अनुबंधित शर्तों का अनुपालन न किया जाना तथा नियोजन की कमी के कारण परियोजना पूर्ण होने में अनावश्यक विलम्ब।

Reconstruction with geometric improvement of existing 2 lane/intermediate lane to 2 lane with paved shoulder configuration from Km. 300 to 338 of NH-58 under EPC mode कार्य की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में ` 257.34 करोड़ की प्रदान की गई। संबन्धित आगणन में सिविल कार्य हेतु ` 208.08 करोड़ आंकलित की गई।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2020) के दौरान संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि वर्णित कार्य हेतु मैसर्स राजश्यामा कन्सट्रकशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली के साथ 27/05/2017 को ` 166.52 करोड़ की लागत का अनुबंध[8] गठित किया गया जिस के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ की तिथि 30/12/2017 तथा कार्य पूर्ण किए जाने की तिथि 29/12/2019 निर्धारित थी। अनुबंध के अंतर्गत निर्मित मार्ग का चौडीकरण व सुदृढीकरण, सड़क ज्यामिति के अंतर्गत पुनर्संरेखण द्वारा सुधारीकरण, सड़क के किनारे जल निकासी कार्य, Culverts व पुलों का निर्माण, पूर्व निर्मित पुलों का सुधार व चौडीकरण, Roadside फ़र्निचर, वृक्षारोपण तथा Retaining व Breast wall निर्माण कार्य शामिल था।

- अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक 14वें चालू देयक के अनुसार ` 154.37 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था तथा अनुबंध में निर्धारित Milestones के अंतर्गत कार्य को पूर्ण न किए जाने के फलस्वरूप चार बार बिना परिनिर्धारित हर्जाने (Liquidated Damages) के समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक कार्य अपूर्ण था तथा दिसम्बर 2020 तक फिर से बिना LD के समयवृद्दि हेतु ठेकेदार के आवेदन पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। । समयवृद्धि प्रदान किए जाने हेतु चारधाम यात्रा, चुनाव आदि कारण शामिल थे जो पहले से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार कार्य पूर्ण किए जाने की अवधि निर्धारित किए जाने के समय कार्य निष्पादन में आने वाली बाधाओं को संज्ञान में नहीं लिया गया था जिस के कारण एक वर्ष का अनावश्यक विलम्ब हुआ जो विभागीय स्तर पर नियोजन की कमी को दर्शाता है।
- अनुबंध की शर्तों (क्लॉज़ 13.1.3) के अनुसार यदि ठेकेदार किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि परियोजना की लागत कम करने, क्रियान्वयन को पूर्ण करने हेतु कार्य दक्षता में सुधार

[8] CB NO-09/CE-NH&B/2017

लाने या अन्यथा परियोजना के लाभ हेतु कार्यक्षेत्र में बदलाव (Change of Scope) की गुंजाइश है तो वह प्रासंगिक विवरण के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा। ठेकेदार इस तरह के बदलाव पर विचार करने के लिए संबन्धित विवरण और अनुबंध मूल्य में कमी की राशि के साथ प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार, आपात स्थिति को छोड़ कर, बिना किसी सहमति के दायरे के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में बदलाव के अंतर्गत कार्य निष्पादित नहीं करेगा।

उपरोक्त के क्रम में कार्यक्षेत्र में बदलाव के अंतर्गत निम्न कार्य ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे:

Change of Scope	Amount (in Crore)
Protection works in Dumping Zones	15.31
Additional culverts	0.82
Extra paved width	3.34
Slope protection at sliding Zones	31.17
Excess Retaining & Breast walls	3.00
Negative Scope (Drain & Utility duct)	(-)7.50

उक्त के संबंध में किए गए पत्राचार का अवलोकन करने पर पाया गया कि protection कार्य के अंतर्गत Retaining & Breast walls का निर्माण कार्य का, Change of Scope के प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व ही, अनुबंधित प्रावधान से तीन गुणा अधिक निष्पादन किया जा चुका था। इस प्रकार प्राधिकारी की सहमति से पूर्व ही कार्यक्षेत्र में बदलाव के अंतर्गत कार्य निष्पादित कर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस के अतिरिक्त डम्पिंग ज़ोन के महत्वपूर्ण कार्य का डी.पी.आर. तथा अनुबंध में प्रावधान न किया जाना भी त्रुटिपूर्ण नियोजन का परिचायक है।

- संबन्धित पत्राचार के अवलोकन पाया गया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान निष्पादित कार्य में कुछ कमियाँ दृष्टिगत हुई थीं जिन को जून 2019 में ठेकेदार के संज्ञान में लाते हुए कमियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया था। अगस्त 2020 तक भी उक्त कमियों का निराकरण ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था। जून 2019 से अगस्त 2020 तक कमियों को ठीक न किए जाने के बावजूद ठेकेदार के विरुद्ध न तो कोई अर्थदण्ड आरोपित किया गया और न इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।
- अनुबंध की शर्तों (क्लॉज़ 16.1) के अनुसार राजमार्ग परियोजना अथवा या इस के किसी खण्ड के निर्माण के दौरान उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा

निर्माणाधीन सेक्शन से गुजरने वाले यातायात की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। उक्त के संबंध में ठेकेदार को अक्तूबर 2019 से जुलाई 2020 तक पत्राचार के माध्यम से सड़क की सुरक्षा व रखरखाव के सुधार हेतु निर्देशित किया जाता रहा परंतु ठेकेदार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। इस संबंध में वर्तमान तक उचित कारवाई नहीं की गई। इस के अतिरिक्त कार्य पूर्ण करने में धीमी प्रगति पाई गई जिस में Dense Bituminous Macadam 0.20 किमी में, Bituminous Concrete 0.25 किमी में तथा major Bridge में 21 मीटर super structure का कार्य निष्पादन शेष था।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल की स्थिति अनुसार Retaining & Breast walls के कार्य में तीन गुणा वृद्धि हुई है तथा उक्त कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में कराया गया। कार्य निष्पादन में पाई गई कमियों के निराकरण के संबंध में बताया गया कि वर्तमान में अधिकांश कमियों को दूर किया जा चुका है। यातायात की सुरक्षा के संबंध में आगे बताया गया कि संबन्धित सेतु कार्य पूर्ण किए जा चुके है व यातायात के लिए खोल दिये गए हैं तथा अवशेष कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किए जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यक्षेत्र में बदलाव के अंतर्गत बिना सहमति के कार्य निष्पादित करना अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस के अतिरिक्त निष्पादन संबंधी कमियों को दूर किए जाने व यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने संबंधी कोई पत्र या अन्य कोई अभिलेख साक्ष्य के रूप में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः अनुबंधित शर्तों के विरुद्ध बिना सहमति के कार्यक्षेत्र में बदलाव के अंतर्गत कार्य निष्पादित किए जाने तथा विभागीय स्तर पर नियोजन की कमी के कारण परियोजना पूर्ण करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
33/2017-18	01	01	01, 02
20/2019-20	01, 02	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
20/2019-20	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या 01:** रॉयल्टी की कम कटौती किए जाने के फलस्वरूप ` 20.52 लाख के राजस्व की हानि।	अनुबन्ध संख्या 3/SE-NH10 दिनांक 26.05.2017 एवं 4/SE-NH10 दिनांक 03.06.2017 के सापेक्ष देयक से कुल मात्रा 58588.57 घन मीटर की रॉयल्टी धनराशि `67.25 लाख आंकी गई थी। संबन्धित कार्य के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन करते समय रॉयल्टी के संबंध में आवेदन किया गया था कि कार्य पर समस्त उपखनिजों के रवन्ने नियमानुसार क्रेशर से प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिये जाएंगे तदनुसार ठेकेदार द्वारा अपने देयकों के साथ रवन्ने Form-J प्रस्तुत किए गए किन्तु निर्माण कार्य पूर्ण होने के समय कुछ रवन्ने अपेक्षित रह गए थे। जिसके क्रम में ठेकेदार को रॉयल्टी जमा करने हेतु पत्र लिखा गया था। तत्पश्चात उक्त अवशेष 18487 घन मीटर	उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित रॉयल्टी की धनराशि ` 20.52 लाख से संबन्धित समस्त रवन्ने (Form-J) इकाई द्वारा ठेकेदार से प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान उपरोक्त समस्त रवन्ने लेखापरीक्षा को भौतिक सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाए गए थे जिनमें से साक्ष्य स्वरूप कुछ Form-J की छायाप्रतियाँ इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई हैं। अतः इकाई द्वारा	अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी की संस्तुति न होने के कारण उक्त प्रस्तर यथावत रखा जाता है।

		उपखनिज मूल्य ` 20.52 लाख के रवन्ने जमा किए गए हैं। उपरोक्त रवन्ने लेखापरीक्षा को भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। अतः उपरोक्त प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।	उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों एवं लेखापरीक्षा दल द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर उक्त प्रस्तर को निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेख **- माप पुस्तिका संख्या 47/L**
सतत अनियमितताएँ **- शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री मनोज कुमार बिष्ट	अधिशासी अभियन्ता	10.06.18 से 08.01.20 तक
02.	श्री दिनेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	08.01.20 से 28.11.20 तक
03.	श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी	अधिशासी अभियन्ता	28.11.20 से वर्तमान तक

3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	04.08.18 से 06.08.2019 तक
02.	श्री आर.एस. राणा	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	06.08.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (लो.नि.वि.), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/12 दिनांकित 08.12.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II/नॉन-पीएसयू